इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 94] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2024—फाल्गुन 25, शक 1945

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र.—408—प्र स—श्रम—2024

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) की धारा 3 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4ई-2/2015/ए-सोलह, दिनांक 15 जून, 2016, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 जून, 2016 में प्रकाशित की गई थी, के खण्ड (बारह) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित करती है, अर्थात्:-

''परंतु यह कि भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्य की लागत से छूट के प्रयोजन के लिए, छूट से संबंधित खण्ड (एक) से (बारह) के अधीन दर्शाई गई कुल राशि, ऐसे भवन तथा अन्य सन्निर्माण परियोजना की तकनीकी स्वीकृति में उल्लिखित विविध/आकस्मिक लागत में दर्शित ऊपरी सीमा से अधिक नहीं होगी:

Scanned with OKEN Scanner

परंतु यह भी कि निर्माण लागत से छूट की कुल राशि, किसी भी दशा में, उस भवन तथा अन्य सन्निर्माण परियोजना की कुल तकनीकी स्वीकृति के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।''।

यह अधिसूचना सभी कार्यो पर लागू होगी और मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

क्र.–408–प्र स–श्रम–2024.–In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 3 of the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996 (28 of 1996), the State Government, hereby, insert the following proviso after clause (xii) of this Department's Notification No. F-4E-2/2015/A-XV1, dated 15th June, 2016 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 24th June, 2016, namely:-

"Provided that for the purpose of exemption from the cost of building and other construction works, the total amount under the exemption clauses (i) to (xii) shall not exceed the upper limit of the amount shown in the miscellaneous/ contingency costs mentioned - in the technical sanction of such building and other construction project:

Provided further that the amount of total exemption from the cost of construction shall not exceed, in any case, three percent of the total technical sanction of that building and other construction project.".

This notification shall be applicable on all works and shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरेंद्र कुमार सिंह, उप सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2024

Scanned with OKEN Scanner